

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारी:- शकुन्तला चौधरी

मुस्ताक अली पुत्र मालू खां जाति कायमखानी निवासी मेहरादास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।  
मुकदमा नम्बर:-107/2019

-प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार मलसीसर  
बनाम

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ.घा 136 मू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 26.02.2021

निर्णय

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अ.घा. 136 आर.टी. एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम मेहरादास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 03 के भूमि ख.न. 157 रकबा 0.19 है, ख. न. 158 रकबा 3.42 है, ख.न. 159 रकबा 1.78 है, ख.न. 162 रकबा 2.53 है, ख.न. 168 रकबा 3.50 है, ख.न. 169 रकबा 3.17 है, ख.न. 170 रकबा 0.33 है कुल किता 07 कुल रकबा 15.46 है व खाता संख्या 02 के खेत ख.न. 104 रकबा 0.18 है, ख.न. 86 रकबा 1.66 है, ख.न. 87 रकबा 4.21 है, ख.न. 89 रकबा 2.73 है, ख.न. 94 रकबा 1.15 है, ख.न. 95 रकबा 3.30 है, ख.न. 96 रकबा 0.04 है, ख.न. 97 रकबा 0.07 है कुल किता 08 कुल रकबा 13.34 है अवस्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी अपने परिवार सहित सयुक्त रूप से शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थी का नाम संवहन से इशाक अली पुत्र मालुखां, मुस्ताक अली पुत्र मालुखां, सनोस बानो पुत्री मालुखां व हुसना बानो पुत्री मालुखां के स्थान पर इशाक अली पुत्र मालुखां, मुस्ताक अली पुत्र मालुखां, सनोस बानो पुत्री मालुखां व हुसना बानो पुत्री मालुखां दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में पेश किया है। तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रार्थी ने अपने नाम के समर्थन में सरकारी आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक व सरपंच का प्रमाण पत्र सेवा में पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि इशाकखां पुत्र मालुखां, मुस्ताकखां पुत्र मालुखां, सहनाजबानो पुत्री मालुखां व हसनबानो पुत्री मालुखां के स्थान पर इशाक अली पुत्र मालुखां, मुस्ताक अली पुत्र मालुखां, सनोस बानो पुत्री मालुखां व हुसना बानो पुत्री मालुखां दर्ज करने का आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

बहस प्रार्थना पत्र एक तरफा श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित इशाकखां पुत्र मालुखां, मुस्ताकखां पुत्र मालुखां, सहनाजबानो पुत्री मालुखां व हसनबानो पुत्री मालुखां के स्थान पर इशाक अली पुत्र मालुखां, मुस्ताक अली पुत्र मालुखां, सनोस बानो पुत्री मालुखां व हुसना बानो पुत्री मालुखां फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया ग्राम मेहरादास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 03 के भूमि ख.न. 157 रकबा 0.19 है, ख.न. 158 रकबा 3.42 है, ख.न. 159 रकबा 1.78 है, ख.न. 162 रकबा 2.53 है, ख.न. 168 रकबा 3.50 है, ख.न. 169 रकबा 3.17 है, ख. न. 170 रकबा 0.33 है कुल किता 07 कुल रकबा 15.46 है व खाता संख्या 02 के खेत ख.न. 104 रकबा 0.18 है, ख.न. 86 रकबा 1.66 है, ख.न. 87 रकबा 4.21 है, ख.न. 89 रकबा 2.73 है, ख.न. 94 रकबा 1.15 है, ख.न. 95 रकबा 3.30 है, ख.न. 96 रकबा 0.04 है, ख.न. 97 रकबा 0.07 है कुल किता 08 कुल रकबा 13.34 है 0 में इशाकखां पुत्र मालुखां, मुस्ताकखां पुत्र मालुखां, सहनाजबानो पुत्री मालुखां व हसनबानो पुत्री मालुखां दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन राजस्व रिकार्ड में संवहन से इशाक अली पुत्र मालुखां, मुस्ताक अली पुत्र मालुखां, सनोस बानो पुत्री मालुखां व हुसना बानो पुत्री मालुखां के स्थान पर इशाकखां पुत्र मालुखां, मुस्ताकखां पुत्र मालुखां, सहनाजबानो पुत्री मालुखां व हसनबानो पुत्री मालुखां दर्ज हो गया। इस अशुद्धी को दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में उपर्युक्त त्रुटियां दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।



*(Handwritten signature)*

उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर


## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेहरादास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं की सरहद में भूमि खाता संख्या 03 के भूमि ख.न. 157 रकबा 0.19 है, ख.न. 158 रकबा 3.42 है, ख.न. 159 रकबा 1.78 है, ख.न. 162 रकबा 2.53 है, ख.न. 168 रकबा 3.50 है, ख.न. 169 रकबा 3.17 है, ख.न. 170 रकबा 0.33 है कुल किता 07 कुल रकबा 15.46 है व खाता संख्या 02 के खेत ख.न. 104 रकबा 0.18 है, ख.न. 86 रकबा 1.66 है, ख.न. 87 रकबा 4.21 है, ख.न. 89 रकबा 2.73 है, ख.न. 94 रकबा 1.15 है, ख.न. 95 रकबा 3.30 है, ख.न. 96 रकबा 0.04 है, ख.न. 97 रकबा 0.07 है कुल किता 08 कुल रकबा 13.34 है जमाबंदी संवत् 2074-77 में अंकित इशाकखां पुत्र मालुखां, मुस्ताकखां पुत्र मालुखां, सहनाजबानो पुत्री मालुखां व हसनबानो पुत्री मालुखां के स्थान पर इशाक अली पुत्र मालुखां, मुस्ताक अली पुत्र मालुखां, सनोस बानो पुत्री मालुखां व हुसना बानो पुत्री मालुखां दुरुस्त किया जाता है। खाते के शेष इंद्रजात यथावत रहेंगे। तहसीलदार तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।



निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(शकुन्तला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर

  
(शकुन्तला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी  
मलसीसर